भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1115

सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

समाधान पोर्टल

1115. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री मुकेश राजपूत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू किया गया समाधान पोर्टल कामगारों, प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों के लिए प्रयोक्ता-हितैषिता, पारदर्शिता और शिकायत समाधान की दक्षता को बढ़ाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे विशेषकर महाराष्ट्र राज्य को कितना लाभ हुआ है;

(ग) सरकार ने इसे श्रम-अनुकूल पोर्टल बनाने के लिए अन्य क्या पहल की हैं;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में समाधान पोर्टल के माध्यम से अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ): समाधान पोर्टल, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत कामगारों, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के औद्योगिक विवादों को दायर करने की सुविधा के लिए आरंभ किया गया था। इस पोर्टल में कामगारों द्वारा उपदान संदाय अधिनियम, 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, समान प्रतिकर अधिनियम, 1976 तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत दावा मामले दर्ज करने की भी सुविधाएं हैं।

जारी/-2

पोर्टल का उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है और यह सभी हितधारकों के लिए निम्नानुसार शिकायत के समाधान हेतु वर्धित पारदर्शिता और दक्षता से युक्त है:-

(i) ऑनलाइन फाइलिंग: कामगार/ट्रेड युनियन/प्रबंधन अपने विवाद तथा दावे पोर्टल पर कम्प्यूटर, उमंग एप पर लॉग इन करके तथा नजदीकी सामान्य सेवा केन्द्रों में जाकर भी दर्ज करा सकते हैं।

(ii) ट्रैकिंग: कामगार/ट्रेड युनियन/प्रबंधन पोर्टल पर ही अपने विवादों/दावों की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

(iii) पारदर्शिता: शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान जारी किए गए सभी नोटिस और अन्य ऐसे दस्तावेज एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जाते हैं।

(iv) त्वरित निपटान: ऑनलाइन कार्य-तंत्र ने मामलों के त्वरित निपटान में सहायता की है।

(v) निगरानी: यह पोर्टल शिकायतों की आंतरिक निगरानी के लिए उपकरण उपलब्ध कराकर दक्षता वृद्धि में सहायता करता है।

(vi) सुधार: समय-समय पर समाधान पोर्टल पर सुविधाओं और सेवाओं में उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सुधार किया जाता है।

आरंभ से, महाराष्ट्र राज्य में समाधान पोर्टल पर लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

	कुल	**समाधान किए गए**	**लंबित**
दावे	1642	486	1156
शिकायतें	1352	735	617
औद्योगिक विवाद	2107	1371	736
कुल	**5101**	**2592**	**2509**

******